कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैज़ाबाद

बैठक कार्यवृत्ति

आज दिनांक 7/12/17 को सांयकाल 4.00 बजे जिलाधिकारी महोदय, फैज़ाबाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, फैज़ाबाद में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया बैठक की शुरुवात करते हुए जिला क्षयरोग अधिकारी डॉ० अजय मोहन द्वारा जनपद में कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी तत्पश्चात राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग के लिए सामजिक संगठन उ०प्र० वोलंट्री हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ के रीजनल कोऑर्डिनेटर रामेश्वर त्रिपाठी एवं दिलीप पाण्डेय द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापर एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय, और वितरण विनियमन) कोटपा अधिनियम 2003 के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी जो की निम्नलिखित है-

नोट- यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमे किसी भी रूप में तम्बाकू है जैसे- सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, संुघनी आदि |

धारा-4 सभी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है इस कानून का उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना उलन्घंकर्ता से वसूला जा सकता है |

धारा-5 किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नही किया जा सकता है | ऐसा करने पर पहले अपराध पर 2 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर 5 वर्ष कि सजा या 5000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

धारा-6अ 18 से वर्ष से कम आयु बच्चों को और बच्चों के द्वारा उत्पाद बेचना व खरीदना कानूनन अपराध है। धारा-6ब किसी भी शिक्षण संस्थान के बाहिरी दीवाल से 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।

धारा-7 सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों पर स्थानीय भाषा में चित्रमय चेतावनी अंकित होनी चाहिए।

और आगामी माह में की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गयी जों कि इस प्रकार है

1. जनपद एवं ब्लाक स्तरीय सचल दल का गठन किया जायेगा ।
2. सचल दल द्वारा सार्वजानिक स्थानों पर छापेमारी करके कोटपा अधिनियम 2003 के उल्लंघनकर्त्ताओ से जुर्माना वसूला जायेगा ।
3. सभी विभाग के ऑफिस/कैंपस/कार्यालय में एक नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए नामित करते हुए कार्यालय को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त बनाया जायेगा ।
4. समस्त शिक्षण संस्थाओ के 100 गज के दायरे में आने वाली पान मसाले की दुकानों को हटवाया जायेगा ।
5. जुर्माना रशीद, चालान रशीद, नो स्मोकिंग बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, होर्डिंग जल्द से जल्द छपवाकर सभी विभागों में लगवाया जायेगा ।
6. पुलिस विभाग की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को शामिल किया जाये और समस्त पुलिस थानों पर नो स्मोकिंग बोर्ड लगाते हुए धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त घोषित किया जायेगा ।
7. समस्त विभाग के अधिकारियो की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करके सभी अधिकारियो को कोटपा अधिनियम 2003 के विषय में जागरूक किया जायेगा ।

तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्नलिखित आवश्यक निर्देश दिए गए-

1. जनपद स्तरीय सचल दल का गठन किया जाता है जिसमे निम्न सदस्य है-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जिला क्षयरोग अधिकारी	नोडल अधिकारी
5.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
7.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	रीजनल कोऑर्डिनेटर यू.पी.वी.एच.ए.	सदस्य

2. सभी विभाग अपने-अपने ऑफिस/कैंपस/कार्यालय में एक नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए नामित करते हुए कार्यालय को धूम्रपान एवं तम्बाकू मुक्त घोषित करके इसकी रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कराये ।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक सभी स्कूलों पर 60×45 सेंटीमीटर का चेतावनी बोर्ड लगावाये और सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे से तम्बाकू की दुकानों को हटवाए ।
4. कलेक्ट्रेट परिसर से समस्त पान मसाले की दुकानों को हटवाया जायेगा और 1 जनवरी 2018 को कलेक्ट्रेट परिसर को धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त घोषित किया जायेगा साथ ही साथ जिला अस्पताल/विकास भवन/सी.एच.सी./पी.एच.सी./मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय/समस्त टी.बी. क्लिनिक को भी धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त बनाया जाये ।
5. 10 जनपद स्तरीय सचल दल का गठन करते हुए कोटपा अधिनियम 2003 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ।
6. समस्त स्कूल/कोचिंग/कॉलेज के 100 गज के दायरे में आने वाली सभी पान मसाले की दुकानों को सचल दल द्वारा हटवाया जाये ।
7. समस्त विभाग के अधिकारियो की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करके सभी अधिकारियो को कोटपा अधिनियम 2003 के विषय में जागरूक किया जाये ।
8. पुलिस विभाग की मासिक अपराध समीक्षा बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को शामिल किया जाये और समस्त पुलिस थानों पर नो स्मोकिंग बोर्ड लगाते हुए धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाए ।
9. जुर्माना रशीद, चालान रशीद, नो स्मोकिंग बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, होर्डिंग जल्द से जल्द छपवाकर सम्बंधित अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये ।
10. जिला अस्पताल में तम्बाकू उन्मूलन केंद्र खोलकर तम्बाकू से ग्रसित व्यक्तियों को तम्बाकू छोड़ने में मदद की जाये ।
11. जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को शामिल करते हुए प्रत्येक माह तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए प्रगति पर चर्चा की जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी फैज़ाबाद डॉ० अशोक गुप्ता द्वारा जनपद के सभी विभागाध्यक्षों से आवाहन किया गया कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने कार्यालय को तम्बाकू मुक्त घोषित करने में सहयोग करें।

...त में उप जिला क्षयरोग अधिकारी डॉ० शील कुमार त्रिपाठी द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों का कार्यक्रम में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

जिला क्षयरोग अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फैजाबाद	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फैजाबाद	जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फैजाबाद

पत्रांक- मु०चि०अ०/त०नि०का०/2017-18/ तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ ।
3. राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, लखनऊ ।
4. मंडलायुक्त महोदय, फैज़ाबाद मंडल, फैज़ाबाद ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैज़ाबाद ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, फैज़ाबाद ।
7. अपर जिला अधिकारी (नगर), फैज़ाबाद ।
8. सिटी मजिस्ट्रेट, फैज़ाबाद ।
9. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैज़ाबाद ।
10. बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद ।
11. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद ।
12. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फैज़ाबाद ।
13. रामेश्वर त्रिपाठी, रीजनल कोऑर्डिनेटर, यू.पी.वी.एच.ए. लखनऊ ।
14. प्रबंधक, ग्लोबल पाथ, फैज़ाबाद ।

जिला क्षयरोग अधिकारी/नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फैजाबाद	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फैजाबाद	जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ फैजाबाद